



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 51044/2025

मनीष यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद कुमार सिंह, हरीश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आज दाखिल किया गया अतिरिक्त शपथ-पत्र अभिलेख में शामिल किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इमरानउल्लाह, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री एच.के. श्रीवास्तव कर रहे थे; राज्य के विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह वर्तमान आवेदन 07.10.2023 के समन आदेश के साथ-साथ शिकायत वाद संख्या 01 वर्ष 2023, धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना मछली शहर, जिला जौनपुर की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो विद्वान अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यू कोर्ट-III/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर की न्यायालय में लंबित है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और विपक्षी नंबर 2 के बीच दोस्ताना संबंध थे और पुरानी देनदारी चुकाने के लिए, आवेदक ने SBI, मछलीशहर के अपने बचत खाते से 03.10.2022 तारीख वाला 9 लाख रुपये का चेक नंबर 829064 जारी किया। जब विपक्षी नंबर 2 ने चेक बैंक में पेश किया, तो आवेदक के बैंक ने यह रिपोर्ट देते हुए उसे लौटा दिया कि ग्राहक ने इसकी पुष्टि नहीं की है। शिकायतकर्ता के कहने पर दोबारा बैंक में पेश करने पर, 'फंड की कमी' की रिपोर्ट के साथ चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद आवेदक के खिलाफ N.I. एक्ट की धारा 138 के तहत यह मामला दर्ज किया गया। मामले का संज्ञान लेने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने 07.10.2023 को समन जारी किया।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि जिस धारा का ज़िक्र किया गया है, उसके तहत आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। इस मामले में आवेदक को फंसाने के लिए शुरुआती तौर पर कोई सबूत नहीं है। दूसरी पार्टी नंबर 2 ने पहले आवेदक की पत्नी के खिलाफ शिकायत नंबर 452/2022 दर्ज कराई थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने 28.06.2025 के आदेश से खारिज कर दिया था। इसके बाद दूसरी पार्टी नंबर 2 ने आवेदक के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि शिकायत से यह साफ है कि आवेदक लखनऊ में रह रहा है और सीआरपीसी की धारा 202 (1) और एन.आई. अधिनियम की धारा 145 के प्रावधानों के अनुसार, समन जारी करने से पहले ज़रूरी जांच करना अनिवार्य है। आवेदक के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जो एन.आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की तेज़ी से सुनवाई' रिट याचिका (क्रि.) संख्या. 02 of 2020) मामले में 16.04.2021 को सुनाया गया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा-10, 11 और 12 में यह कहा है:

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"10. कोड की धारा 202 मजिस्ट्रेट को यह तय करने के लिए जांच करने का अधिकार देती है कि क्या प्रोसेस जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। 2005 के एक्ट 25 के ज़रिए 23.06.2006 से लागू कोड की धारा 202 में हुए संशोधन ने मजिस्ट्रेट के लिए यह ज़रूरी कर दिया कि वे प्रोसेस जारी करने से पहले जांच करें, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता हो। देखें: विजय धनुका और अन्य बनाम नजीमा ममताज और अन्य, अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर और अन्य, और बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्रज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य।" एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायतों के संबंध में धारा 202 को लागू करने को लेकर हाई कोर्ट्स के बीच अलग-अलग राय रही है। हाई कोर्ट्स ने धारा 138 के तहत कुछ मामलों में यह माना है कि धारा 138 के तहत दायर शिकायतों में प्रोसेस जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए कोड की धारा 202 में बताई गई जांच करना ज़रूरी है। कुछ अन्य मामलों में इसके विपरीत राय भी व्यक्त की गई है। यह माना गया है कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है, मजिस्ट्रेट के लिए हर मामले में प्रोसेस जारी करने में देरी करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा, यह भी माना गया है कि अगर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से ज़रूरी संतुष्टि मिल सकती है, तो कोड की धारा 202 के तहत जांच न करने से प्रोसेस जारी करने की प्रक्रिया अमान्य नहीं होगी।

11. विद्वान विद्वान न्यायमित्र ने इस कोर्ट के K.S. जोसेफ बनाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और अन्य के फैसले का जिक्र किया, जिसमें धारा 138 के तहत दर्ज शिकायतों के संबंध में कोड की धारा 202 के तहत जांच की ज़रूरत पर चर्चा की गई थी, लेकिन कानून का सवाल खुला छोड़ दिया गया था। विजय धनेका (उपरोक्त), अभिजीत पवार (उपरोक्त) और बिड़ला कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) में इस कोर्ट के फैसलों को देखते हुए, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच को छोड़ा नहीं जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि मजिस्ट्रेट को जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हम विद्वान न्यायमित्र की बात से सहमत हैं।

12. एक और बात जो हमारे ध्यान में लाई गई है, वह धारा 202 (2) की व्याख्या से जुड़ी है। इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को प्रोसेस जारी करने के मकसद से धारा 202 (1) के तहत की जाने वाली जांच में गवाह के बयान शपथ पर लेने चाहिए। एक्ट की धारा 145 में यह प्रावधान है कि शिकायतकर्ता अपना बयान हलफनामे पर दे सकता है। कोड में दी गई किसी भी बात के बावजूद, इस बयान को किसी भी जांच, ट्रायल या अन्य कार्यवाही में सबूत के तौर पर पढ़ा जाएगा। एक्ट की धारा 145 (2) कोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह अभियोजन पक्ष या आरोपी की अर्जी पर, हलफनामे पर बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसमें बताई गई बातों के बारे में पूछताछ कर सके। विद्वान न्यायमित्र (न्यायालय के सहयोगी अधिवक्ता) का तर्क है कि भले ही हलफनामे पर गवाहों से पूछताछ की अनुमति देने वाला कोई खास प्रावधान नहीं है, लेकिन धारा 145 शिकायतकर्ता से हलफनामे के ज़रिए पूछताछ की अनुमति देती है, ताकि धारा 202 के तहत जांच की जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि धारा 202 (2) को धारा 145 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और धारा 138 के तहत शिकायतों के मामले में गवाहों से पूछताछ की अनुमति भी हलफनामे पर दी जानी चाहिए। केवल खास मामलों में ही मजिस्ट्रेट गवाहों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकते हैं। शिकायतकर्ता से हलफनामे के ज़रिए पूछताछ के मामले में एक्ट की धारा 145, धारा 202 का अपवाद है। धारा 145 में गवाहों से हलफनामे पर पूछताछ के संबंध में भी कोई खास प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट है कि धारा 145 को एक्ट में 2003 से इस अच्छे मकसद के साथ शामिल किया गया था कि धारा 138 के तहत दायर शिकायतों में ट्रायल में तेज़ी लाई जा सके। अगर शिकायतकर्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपना बयान हलफनामे पर दे सकता है, तो गवाहों के बयान शपथ पर लेने पर ज़ोर देने का कोई कारण नहीं है। धारा 145 और धारा 202 को समग्र रूप से पढ़ने पर, हम यह मानते हैं कि कोड की धारा 202 (2) धारा 138 के तहत शिकायतों में गवाहों से शपथ पर पूछताछ के मामले में लागू नहीं होती है। शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के बयान हलफनामे पर लिए जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट खुद जांच करते हैं, तो उनके लिए गवाहों से पूछताछ करना ज़रूरी नहीं है। उचित मामलों में, मजिस्ट्रेट धारा 202 के तहत कार्रवाई करने के लिए आधारों की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होने के लिए दस्तावेज़ों की जांच कर सकते हैं।”

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, समन जारी करने से पूर्व जाँच करना अनिवार्य है। समन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202(1) के अंतर्गत प्रदान की गई जाँच के बिना ही आवेदक के विरुद्ध समन जारी कर दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

7. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के अधिवक्ता की दलील का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि समन आदेश (बुलाने के आदेश) को देखने से यह साफ़ है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत, हलफनामा, आवेदक को जारी नोटिस, चेक की फ़ोटोकॉपी और अन्य सबूतों को देखने और हलफनामे के ज़रिए शिकायतकर्ता से पूछताछ करने के बाद, पहली नज़र में आवेदक के खिलाफ़ संबंधित धारा के तहत सबूत पाए और आवेदक को तलब किया। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रकरणों के त्वरित विचारण के मामले में (उपर्युक्त) के पैरा 24 की ओर ध्यान दिलाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा-24 (1) में कहा है कि हाई कोर्ट को मजिस्ट्रेटों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि वे धारा 138 के तहत शिकायतों के ट्रायल को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में बदलने से पहले कारण दर्ज करें। पैरा-24 (2) कहता है कि धारा 138 के तहत शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर्याप्त आधार का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। एक्ट में संशोधन इसलिए किया गया है ताकि मजिस्ट्रेट, शिकायत में आरोपी के तौर पर नामज़द व्यक्ति के खिलाफ़ प्रोसेस जारी करके शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले, उसके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार होने के बारे में खुद को संतुष्ट कर ले, खासकर तब जब वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर रह रहा हो। संशोधित प्रावधान का मकसद दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले बेगुनाह लोगों को बेईमान लोगों द्वारा बिना किसी आधार के झूठी शिकायतें दायर करके परेशान किए जाने से बचाना है।

8. वर्तमान मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतों का न्यायनिर्णयन करने के बाद नोटिस जारी किया है; आवेदक के चेक के संबंध में नोटिस जारी किया गया और शिकायतकर्ता की शपथ-पत्र पर परीक्षा की गई। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा 07.10.2023 को पारित समन आदेश को बिना जांच किए जारी किया गया नहीं कहा जा सकता। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. इसलिए, आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

18 मार्च 2026

मीनू सिंह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”